

इनर आफिस
 सभाग, टीवा (म०प्र०)
 01 OCT 2017
 पांच रुपये किराना FIVE RUPEES
 हिन्दी कानून सदन अमृतसर



स/1/6710/2019/3779

790

लक्ष्मी नारायण पिता अम्बिका प्रसाद त्रिपाठी उर्फ बबूआ (फौत) वारिस:-

अपना
 Court Registrar's Office
 District Court
 Tawa, M.P.

- 1- अनुज त्रिपाठी पिता स्व० लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी
- 2- रामसखी पत्नी स्व० लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी
- 2ब- प्रकाश नारायण पिता राकेश कुमार त्रिपाठी
- 3- दीपा पुत्री राकेश कुमार त्रिपाठी
- 4- आनन्द त्रिपाठी पिता स्व० लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी
- 5- मनोज त्रिपाठी पिता स्व० लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी
- 6- सन्त कुमार त्रिपाठी पिता स्व० लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी
- 7- प्रभादेवी पुत्री स्व० लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी
- 8- मुन्नी पुत्री स्व० लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी
- 9- प्रेमलता पुत्री स्व० लक्ष्मीनारायण त्रिपाठी

सभी निवासी पुरानी बस्ती अमरपाटन तहसील अमरपाटन जिला सतना म०प्र० _____ निगराकार/आवेदकगण

बनाम

- 1- जगदीश प्रसाद (फौत)वारिसान:-
 (अ)रविशंकर (ब)विनोद (स)प्रमोद (द)अनिल (ई)अरुण उर्फ पप्पू
 सभी निवासी पुरानी बस्ती अमरपाटन तहसील अमरपाटन जिला सतना म०प्र०

परमेश्वर प्रसाद (फौत) वारसान:-

अधिकारी विप्रसाद सिंह
 बखल इलाहाबाद 10-10-17

कलकत्ता ऑफिस
 उच्च न्यायालय म०प्र० न्यायालय
 (सिकंदर काठ) टीवा 2-

RR
 424

Handwritten signature

अधिकारी


बराजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश ग्वालियर
अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ-अ

प्रकरण क्रमांक III/निग0/रीवा/भू-रा0/2017/3779

जिला-सतना

लक्ष्मीनारायण/ जगदीश प्रसाद

12
2214
227

(1)	(2)	(3)
19-12-18-	<p>1. आवेदक की ओर से श्री रवि प्रसाद सिंह बघेल अधिवक्ता द्वारा यह निगरानी अनुविभागीय अधिकारी, तहसील अमरपाटन, जिला सतना के प्रकरण क्रमांक 106/अपील/2012-13 में पारित आदेश दिनांक 30.08.17 के विरुद्ध प्रस्तुत की गयी है। म0प्र0 भू-राजस्व संहिता में दिनांक 25.09.2018 को हुये संशोधन के फलस्वरूप अब नवीन संशोधित संहिता की धारा 50 सहपठित संहिता की धारा 54(ए) के अन्तर्गत सुनवाई हेतु प्रकरण कलेक्टर, जिला सतना के न्यायालय को अंतरित किया जाता है। उभयपक्ष दिनांक 14.03.19 को कलेक्टर सतना के न्यायालय में सुनवाई हेतु उपस्थित हो।</p> <p style="text-align: right;">सदस्य</p>	

Adv

3.12.18